रा.प.प.

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम टायर प्लांट बगराना जयपुर

Emil -gmt.rsrtc@gmail.com

निविदा सूचना

निगम के टायर वितरण शाखा, केन्द्रीय भण्डार, जयपुर में नीचे अंकित कार्यो के लिये वार्षिक अनुबन्ध किए जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है :–

टायर वितरण शाखा ,केन्द्रीय भंडार जयपुर :–

1. ट्रक/बस की छतो पर टायर एवं टायर सैट चढानें एंव धांग लगाने का कार्य होइस्ट/बिना होइस्ट की सहायता से।
2. ट्रक/बस की छतो पर टायर एवं टायर सैट उतारने एंव धांग लगाने का कार्य होइस्ट/बिना होइस्ट की सहायता से।

इच्छुक फर्मे/व्यक्ति उक्त प्रत्येक कार्य के लिये अलग–अलग दरें दिये गये प्रपत्र में अंकित कर शीलबन्द निविदायें महाप्रबन्धक (टायर), टायर प्लान्ट बगराना, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 15.10.2025 को 14.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकतें है। निविदायें उसी दिन 15.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र मय नियम एवं शर्तो सहित निविदा शुल्क रूपये 590/–(रूपये पांच सौ नब्बे रूपये मात्र) बगराना, जयपुर स्थित केन्द्रीय कार्यशाला के कार्यालय में जमा करवा कर प्राप्त किये जा सकते है। विवरण कि जानकारी निगम वेबसाइट www.transport. rajasthan.gov.in/rsrtc and sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

महा प्रबंधक(टायर)
टायर प्लांट , जयपुर

क्रमांकः– 640
दिनांकः– 29.09.2025

प्रतिलिपीः–

1 नोटिस बोर्ड, बस स्टेण्ड सिन्धीकेम्प, जयपुर।
2 नोटिस बोर्ड, मुख्यालय जयपुर एवं जयपुर आगार
3 नोटिस बोर्ड, वैशालीनगर आगार
4 नोटिस बोर्ड, केन्द्रीय कार्यशाला जयपुर
5 नोटिस बोर्ड, केन्द्रीय भण्डार जयपुर
6 नोटिस बोर्ड, टायर प्लांट बगराना जयपुर
7 आदेश पत्रावली।

I.T./1488
06/10/25

महाप्रबंधक(टायर)
टायर प्लांट, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम टायर प्लांट बगराना जयपुर

Emil -gmt.rsrtc@gmail.com

1. निविदा संख्याः–...
2. निविदा शुल्क रूपयेः– 590/– (रूपये पांच सौ नब्बे रूपये मात्र) जीएसटी सहित।
   रसीद संख्या–..............................दिनांक–....................
3. निविदा दिनांक :–15.10.2025 को 14.00 बजे तक जमा की जावेगी तथा उसी दिन 15.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

अनुबन्ध/ठेके की शर्तें

1. निविदादाता व्यक्ति/फर्म को आवेदन पत्र के साथ रूपये 5000/–(पांच हजार रूपये मात्र) धरोहर राशि के रूप में जमा कराने होंगे तथा ठेका आवंटन होने पर 10000/–रू. और निगम कोष में जमा कराने होंगें। इस प्रकार कुल धरोहर राशि 15,000/–रूपये उक्त राशि सफल ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता के लिये बतौर सुरक्षा राशि के रूपये जमा रहेंगें।
2. निविदादाता व्यक्ति/फर्म द्वारा आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड की प्रति (व्यक्ति की दशा में) एवं पंजीकरण दस्तावेजों की प्रति (फर्म की दशा में) तथा सभी निविदाताओं को पेन कार्ड, जीएसटी प्रमाण पत्र एवं चाहे गये अन्य दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करने होंगे।
3. ठेका आवंटन होने पर टायर वितरण शाखा, जयपुर में ट्रक/बस में टायर एवं टायर सैट आदि चढाने–उतारने व टायर आदि की धांग लगाने का कार्य प्रति कार्यदिवस में करना होगा। इस दौरान अनुबन्धित फर्म/ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं करने की दशा में रूपये 1000/– रूपये प्रतिदिन के हिसाब से शास्ति राशि अधिरोपित की जायेगी। साथ ही उक्त कार्य को बाहर के व्यक्तियों/अन्य ठेकेदार से करवाने की स्थिति में उनको भुगतान की गई राशि ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता के भुगतान/धरोहर राशि/सुरक्षा राशि से वसूल की जावेगी।
4. कार्यालय समय में ट्रक/बस में टायर सैट आदि चढाने–उतारने व टायर आदि की धांग लगाने का कार्य करना होगा।
5. यदि अवकाश के दिन कार्यालय खुलेगा तो उस दिन भी टायर सैट आदि चढाने–उतारने व टायर आदि की धांग लगाने का कार्य करना होगा।
6. ट्रक/बस में टायर सैट आदि चढाने–उतारने व टायर आदि की धांग लगाने का कार्य टायर वितरण शाखा, जयपुर में होगा।
7. अनुबन्धित फर्म/ठेकेदार द्वारा कारखाना नियमों के एवं अन्य प्रभावी विधियों के तहत निर्धारित सुरक्षा नियमों एवं अन्य निर्देशों की पालना स्वयं के स्तर से की जावेगी। कार्य के दौरान यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होने/अनहोनी होने पर उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं उत्तरदायित्व सफल अनुबन्धकर्ता की होगी। निगम का किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व एंव देयता नही होगी।
8. उक्त कार्य का ठेका एक वर्ष की अवधि का होगा। कार्य सन्तोषप्रद होने पर अवधि बढाई जा सकती है।
9. निगम को बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
10. कार्य सन्तोषप्रद नहीं होने की स्थिति में ठेका निरस्त कर धरोहर/सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी।
11. ठेके में किसी भी तरह की बाधा/विवाद कि स्थिति में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा मध्यस्थता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी आदेशों/परिपत्र ही एकमात्र रूप से प्रभावी होंगे उनके अनुसार ही कार्यवाही की जा सकेगी जिसका निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
12. अनुबन्धित फर्म/ठेकेदार द्वारा मासिक रूप से ईपीएफ/ईएसआई जमा का चालान प्रस्तुत करने के उपरांत ही भुगतान देय होगा।
13. समस्त प्रकार की वैधानिक कटौतियां अनुबन्धित फर्म/ठेकेदार स्वंय के स्तर पर वहन करेगा।
14. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

महाप्रबन्धक (टायर)

निविदादाताओं द्वारा दिया गया वचन–पत्र

मेरे द्वारा उपरोक्त शर्ते पढ ली गई है तथा मैं इनका पालन करूँगा। धरोहर राशि रसीद संख्या .... दिनांक..............................से रूपये 5,000/–(रूपये दस हजार मात्र) जमा करा दिये गये है।

टायर वितरण शाखा, केन्द्रीय भण्डार जयपुर

क्र. सं.	कार्य का विवरण	दर (रूपये प्रति टायर)
1	ट्रक/बस की छतो पर टायर एवं टायर सैट आदि चढाने एवं धांग लगाने के कार्य की दर (होइस्ट/बिना होइस्ट की सहायता से।)	
2	ट्रक/बस की छतो पर से टायर एवं टायर सैट आदि उतारने एवं धांग लगाने के कार्य की दर (होइस्ट/बिना होइस्ट की सहायता से)	

मैं मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त दरों पर टायर वितरण शाखा, केन्द्रीय भण्डार जयपुर में आवंटित कार्य करने को सहमत हूँ।

निविदादाता का नामः–..

डाक का पताः–..

....

निविदादाता के हस्ताक्षर

....

फोन नं.......................................मो.नं...

ADO　　AO(T)　　PM(T)　　GM(T)　　निविदादाता के हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner